कार्यालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली(छ.ग.)

—: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :—

क्रमांक क /एक—15—01/2017 मुंगेली दिनांक 10 मई 2024

मैं **चन्द्र कुमार अजगल्ले**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक 453/II-3-1/2024/Confdl./2024 बिलासपुर दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन आदेश को अधिक्रमित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(2)(3) और 194 एवं छ.ग. सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला मुंगेली एवं सत्र खण्ड मुंगेली में पदस्थ न्यायाधीशों के मध्य निम्नानुसार संशोधित कार्य—विभाजन आदेश पारित करता हूँ, जो तत्काल प्रभावशील रहेगा तथा लंबित सिविल एवं दाण्डिक मामलों पर उसका प्रभाव नहीं होगाः—

टीपः— छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्र.—19 सन् 1958) में संशोधन अनुसार—पीठासीन न्यायाधीश के पदनाम में संशोधन किया जाता है। (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल 2024, क्र. 3460/डी./21—अ/प्रारू./छ.ग./24.)

अनु.	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुंगेली। 2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) मुंगेली 3. विशेष न्यायाधीश (**NDPS**) मुंगेली	सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला मुंगेली	1. सत्र प्रकरण। 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित प्रकरण (विधि एवं विधायी विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर अधिसूचना क0—5907/1931/**XXI-B/C.G.**/2017 रायपुर दिनांक 27.06.2017) (माननीय उच्च न्यायालय के रिटपिटिशन(क्रि.)क्र.—540/2020 रामस्वरूप राजवाड़े वि0 स्टेट आफ सी.जी. के आदेश दिनांक 10.12.2020 के अनुसार **अनु. जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 1989 के ऐसे सभी प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जिनमें आरोपी पर पाक्सो एक्ट का भी आरोप है, को** छोड़कर) 3. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत एनडीपीएस से संबंधित समस्त प्रकरण (छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 399/ 1382/**XXI-B/C.G./ 2023** दिनांकित 02.05.2024) 4. Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act 2005) के अंतर्गत सभी प्रकरण एवं उनसे उदभूत मामले (छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 9742/3446/**XXI-B/2015** दिनांकित 09.10.2015) 5. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण से संबंधित समस्त प्रकरण (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर की अधिसूचना क्रमांक—एफ—25—8/2011/ नौ/55 नया रायपुर दिनांक 09.10.2017)

			6. आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण। 7. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 8. जुनाइल जस्टिस बालको के सुरक्षा एवं संरक्षण बाल न्यायालय 2005 से उद्भूत आवेदन अंतर्गत धारा 52 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील। 9. दं0प्र0सं0 की धारा 341 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 10. दिनांक 24.10.1998 के पूर्व संस्थापित आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण 12–ड्रग एवं कास्मेटिक अधिनियम 1940 (नंबर 23 1940) से संबंधित उपार्पित प्रकरण संपूर्ण जिले से उत्पन्न। 11. स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलें एवं निर्वाचन याचिकाएं। 12. रू. 40,00,001/– से अधिक मूल्य के साम्पत्तिक वाद एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 13. सम्पूर्ण राजस्व मुंगेली से उद्भूत मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले समस्त आर्बिट्रेशन प्रकरण 14. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधि0 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाएं। 15. नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 28 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सिविल प्रकरण। (तहसील मुंगेली, पथरिया, लोरमी से उत्पन्न प्रकरण) 16. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 17. मुंगेली जिला से उत्पन्न मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 18. सिविल जिला मुंगेली व्यवहार न्यायालयों वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी के द्वारा समस्त सिविल वाद में घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें एवं विविध अपीलें। 19. भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत् कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेन्स। 20. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत् प्रस्तुत प्रकरण। 21. धारा 9 CPC के अन्तर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नही हैं। 22. Specific Relief Act 1963(47of 1963) and Specific Reliel Amendment Act 2018 की धारा 20 बी के अधीन प्रधान जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य प्रकरण **(विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचनाक्र0–7782/2124/XXI-B/C.G./2019 दिनांक 02.08.2019)** 23. माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण। 24. मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना–सिटी कोतवाली

			मुंगेली, थाना–जरहागांव, थाना–पथरिया एवं थाना–सरगांव से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए) 166 एवं 140 मो.वि.एक्ट 1988(संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत पेश दावा आवेदन। 25. मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना–सिटी कोतवाली मुंगेली, थाना–जरहागांव, थाना–पथरिया एवं थाना–सरगांव से ''मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रकरण तथा उक्त थानों के द्वारा मोटर यान संशाोधन नियम 2022 के अंतर्गत विवेचना *अधिकारी द्वारा **FAR, IAR** एवं **DAR** मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण, मुंगेली में प्रस्तुत किये जायेंगे ।''* 26. अन्य अधिनियम के अन्तर्गत् प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय विवाद जो इस आदेश में अन्य न्यायालय को आबंटित नही किये गये है। 27. मुंगेली जिला से उत्पन्न होने वाले अन्य प्रकरण जो उपरोक्त में उल्लेखित नहीं है। **(कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोडकर)**
2.	1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली, एवं प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगेली 2. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मुंगेली 3. विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) मुंगेली	सिविल जिला मुंगेली एवं सत्र खण्ड मुंगेली	*1.* सत्र न्यायाधीश मुंगेली द्वारा समय समय पर अंतरित सत्र प्रकरण। *2.* भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 *3.* विद्युत अधिनियम*(माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक **4143/III-6-4/2003/Checker** बिलासपुर दिनांक 27 मार्च 2021) एवं पृष्ठांकन क्रमांक **4526/III-6-4/2005/Checker** बिलासपुर दिनांक 13 अप्रैल 2021)* *4.* 'धारा 25 बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 तथा वुमेन (रेप केसेस) से संबंधित समस्त प्रकरण एवं धारा 28 पाक्सो अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरण*(माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक 4146/**III-6-4/2003/Checker** बिलासपुर दिनांक 27 मार्च 2021)''* *5.* रूपये 10,00,001/– से रूपये 40,00,000/– तक मूल्य के सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण। *6.* मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना–लोरमी, थाना–लालपुर, थाना–फास्टरपुर एवं थाना–चिल्फी से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए) 166 एवं 140 मो.वि.एक्ट 1988(संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत पेश दावा आवेदन। *7.* मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना–लोरमी, थाना–लालपुर, थाना–फास्टरपुर एवं थाना–चिल्फी से ''मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रकरण तथा उक्त थानों के द्वारा मोटर यान संशाोधन नियम 2022 के अंतर्गत विवेचना *अधिकारी द्वारा **FAR, IAR** एवं **DAR** मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण,*

			मुंगेली में प्रस्तुत किये जायेंगे ।'' 8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुंगेली द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण। 9. व्यवहार वाद एवं अपराधिक प्रकरण जो समय समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 10. इस जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य अनुसांगिक कार्यवाहियां 11. माननीय सत्र न्यायाधीश मुंगेली के द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।
3.	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पाक्सो) मुंगेली	सत्र खण्ड मुंगेली	1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के समस्त प्रकरण व जमानत आवेदन पत्र। 2. अनु.जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 1989 के ऐसे सभी प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जिनमें आरोपी पर पाक्सो एक्ट का भी आरोप है (*माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटिशन(क्रि.)क्र. –540/2020 रामस्वरूप राजवाड़े वि0 स्टेट आफ सी.जी. के आदेश दिनांक 10.12.2020 के अनुसार*) 3. धारा 25 बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 से संबंधित प्रकरण 4. किशोर न्यायबोर्ड, मुंगेली के आदेश से उद्भूत समस्त दाण्डिक अपीलें अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 5. सत्र न्यायाधीश मुंगेली के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण।
4.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली	तहसील मुंगेली, पथरिया, लालपुर थाना एवं जरहागांव	1. नगरपालिका परिषद मुंगेली से उत्पन्न होने वाले अपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय विशेष अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण एवं स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण। 3. तहसील मुंगेली, लालपुर थाना, पथरिया एवं जरहागांव से उद्भूत रूपये 8,00,001/– से 10,00,000/– तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4. तहसील मुंगेली, लालपुर थाना, पथरिया एवं जरहागांव से उद्भूत रूपये 201/– से रूपये 500/– तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण ।

			5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 192, तथा भाग दो, 10 की अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। **6.** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। **7.** न्याय पंचायतों के आदेशों के विरूद्ध पुनरीक्षण। **8.** प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 के अधीन समस्त प्रकरण। **9.** छ0ग0 पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत व्यवहार निगरानियां। **10.** छ.ग.नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 139(1) एवं 172(1) के अधीन अपील। **11.** Specific Relief Act 1963(47of 1963) and Specific Reliel Amendment Act 2018 की धारा 20 बी के अधीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 की सुनवाई योग्य प्रकरण (विधि एवं विधायी कार्य विभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्र0–7782 / 2124/**XXI-B/C.G.**/2019 दिनांक 02.08.2019) **12.** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। **13.** अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन मामलो की पुर्नस्थापन संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। **14.** आर्थिक अपराधों से संबंधित प्रकरण, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचना से प्राप्त। **15.** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी मुंगेली के रिक्त न्यायालय से संबंधित व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्यवाही।
5.	द्वितीय व्य.न्या. वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली एवं न्या. मजि.प्र.श्रे.मुंगेली	तहसील मुंगेली, पथरिया लालपुर थाना, एवं जरहागांव	**1.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा कार्य विभाजन आदेशानुसार सौंपे गये एवं समय समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। **2.** तहसील मुंगेली, पथरिया, लालपुर थाना एवं जरहागांव से उदभूत रूपये 5,00,001 / – से रूपये 8,00,000 / – तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। **3.** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। **4.** अन्य कार्य जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपे जावे।
6.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली के अतिरिक्त न्यायाधीश लोरमी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लोरमी	तहसील लोरमी एवं लालपुर थाना	**1.** समस्त आपराधिक प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली की अनुज्ञा से सौपे जाने वाले प्रकरण। **2.** सभी आपराधिक प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा कार्यविभाजन अनुसार वितरित किया जावे। **3.** तहसील लोरमी, तहसील लालपुर थाना से उद्भूत होने वाले रूपये शून्य से 10,00,000 तक मूल्य के

			सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। **4.** तहसील लोरमी, तहसील लालपुर थाना से उद्भूत होने वाले रू. शून्य से रू. 500/– तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। **5.** अन्य कार्य जो प्रधान जिला न्यायाधीश मुंगेली द्वारा सौपा जावें। **6.** अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन मामलो की पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। **7.** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। **8.** रिक्त न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी लोरमी के लंबित समस्त आपराधिक एवं सिविल प्रकरण तथा उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण
7.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मुंगेली एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली	तहसील मुंगेली, पथरिया एवं जरहागांव	**1.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा कार्य विभाजन आदेशानुसार सौंपे गये एवं समय समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। **2.** रूपये शून्य से रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।(*व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 लोरमी के आर्थिक क्षेत्राधिकार अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों को छोडकर*) **3.** रू. शून्य से रू. 200/– तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण । **4.** अन्य जिलो से प्राप्त रूपये शून्य से रूपये 5,00,000/– तक के मूल्य निर्वतन हेतु प्रकरण। **5.** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं सौंपे गये अन्य कार्य।
8.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, लोरमी		रिक्त न्यायालय
9.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मुंगेली		रिक्त न्यायालय

सही/–
(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ.ग.

अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में अधिकृत न्यायाधीश/लिंक न्यायिक अधिकारी

क्र.	न्यायाधीश का पदनाम	अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में अधिकृत न्यायाधीश/लिंक न्यायिक अधिकारी
1	2	3
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
2	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली (*पी.सी.एक्ट को छोंडकर*)
3	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
4	1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली 2. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी मुंगेली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली के अतिरिक्त न्यायाधीश लोरमी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली
8	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मुंगेली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली

नोट–

1. स्तम्भ क्रमांक 2 में अंकित न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा उक्त न्यायालय रिक्त रहने की दशा में आवश्यक कार्य का संपादन स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा।
2. यदि किन्ही कारणों से स्तम्भ क्रमांक 3 में अंकित न्यायाधीशगण उपलब्ध न हों तो जिला मुख्यालय/तहसील में जो भी वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी उक्त श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में उपलब्ध हों वे संबंधित न्यायालय अर्थात स्तम्भ क्रमांक 2 में अंकित न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित करेंगे। क्षेत्राधिकारिता के बारे में जहां भी संशय हो तो आदेश के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
3. The concerned link Judicial Officer will take up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witness have come to record that evidence, if possible and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 03 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the official witnesses and in case of the Link Judicial Officer is on leave, in his absence, nominate the Judicial Officers for the same which are mentioned below the same procedure shall be applicable in the criminal cases too.***(As per Registry memo no. 14754/D&A/2023, Bilaspur Date 08/11/2023)***

   संबंधित लिंक न्यायिक अधिकारी न केवल उस अदालत के अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेगा, बल्कि यदि संभव हो तो उन मामलों की भी सुनवाई करेगा जिनमें गवाह अपनी गवाही दर्ज कराने आए है, और यदि संभव नहीं हो तो उन्हें बाध्य किया जाएगा और अगली तारीख दी जायेगी। पीठासीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 दिन के अंदर उस अदालत की न्यायिक डायरी पर विचार करते हुए सरकारी गवाहों को छोंडकर अन्य गवाहों को बाध्य किया जाए और लिंक न्यायिक अधिकारी के छुट्टी पर होने की

स्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में, न्यायिक अधिकारियों को नामित किया जाए वही जो उल्लेखित है, यही प्रक्रिया आपराधिक मामलों में भी लागू होगी। **(रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 14754/डी एंड ए/2023, बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 के अनुसार)**

4. लंबी छुट्टियों (गर्मी या सर्दी की छुट्टियों) के दौरान पांच साल से अधिक समय से लंबित सिविल, अपराधिक एवं निष्पादन मामलों जैसे कार्य योजना मामलों और मोटर दुर्घटना दावा मामलों जैसे कार्य योजना मामलों की सुनवाई संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
5. जब संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी लंबी छुट्टी पर हो, तो उसके न्यायालय में लंबित कार्ययोजना से संबंधित सभी मामले, जैसे कि पांच साल से अधिक समय से लंबित दीवानी, आपराधिक और निष्पादन के मामले एवं मोटर दुर्घटना आदि के मामलों में कार्य विभाजन अनुसार सुनवाई अन्य संबंधित पीठासीन अधिकारी/नामित लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी। **(रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 15520/डी एंड ए/2023, बिलासपुर दिनांक 29.11.2023 के अनुसार)**
6. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत सभी प्रकार के वाणिज्यिक विवाद जो दस लाख रूपये तक के मूल्य के हो, जिनमें मध्यस्थम विवाद प्रकरण सम्मिलित नहीं है, के सुनवाई का क्षेत्राधिकार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बिलासपुर/वाणिज्यिक न्यायालय बिलासपुर को तथा सभी वाणिज्कि मामले जिनका मूल्य दस लाख से पचास लाख रूपये तक हो, **(सभी प्रकार के माध्यस्थम विवाद सहित)** तथा सभी माध्यस्थम मामले जिनका मूल्य दस लाख तक है, जो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित है, की सुनवाई का क्षेत्राधिकार द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/वाणिज्यिक (जिला न्यायाधीश स्तर) को है, तथा जिला न्यायाधीश से नीचे के श्रेणी (व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी) के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरूद्ध समस्त वाणिज्यिक अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय बिलासपुर (जिला न्यायाधीश स्तर) को प्राप्त है। **(उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय मुंगेली में नहीं की जायेगी)**
7. सिविल अवकाश (Civil Vacation) की अवधि में प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक आवेदन, संबंधित न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिया जावेगा। संबंधित न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश में रहने की स्थिति में जिला मुख्यालय/तहसील में जो भी वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी उक्त श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में उपलब्ध हों, के द्वारा सुनवाई किया जावेगा।
8. यदि सिविल प्रधान जिला मुंगेली में सत्र न्यायाधीश एवं कोई भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपलब्ध नही होंगे तो अति आवश्यक औपचारिक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

सही/–
(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ.ग.